TelegraphicAddress :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
24651001 - 07

फैक्स/Fax : 24616286

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi 110023

सं./No..

दिनांक / Dated 19.10.2010

संदेश

केन्द्रीय सतर्कता आयोग 25 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2010 तक सतर्कता जागरूकता अवधि का अनुपालन कर रहा है ।

2. वार्षिक अनुपालन, हमारी वचनबद्धता को पुन: पुष्ट करता है तथा भ्रष्टाचार से संघर्ष के प्रति हमें पुन: समर्पित करता है । भ्रष्टाचार में महत्वपूर्ण रूप से कमी नहीं हो सकती जब तक कि सभी पणधारी - सरकारी मंत्रालय, विभाग तथा अभिकरण, सार्वजनिक उपक्रम तथा बैंक, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज विस्तृत रूप से इस प्रक्रिया में शामिल न हों । इसके लिए बृहत् सर्वतोमुखी जागरूकता की आवश्यकता है । इसे ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष की जागरूकता अवधि का विषय **"भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूकता उत्पत्ति एवं प्रचार"** होगा ।

3. अन्तर्निहित उद्देश्य, भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष में जनता का समर्थन तथा सहभागिता प्राप्त करना तथा प्रणाली में उनका विश्वास पुन: प्राप्त करना है । एक भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण का निर्माण करने के लिए उन्हें भ्रष्टाचार के क्षेत्रों के बारे में, भ्रष्टों की ज्ञात कार्य-प्रणाली के बारे में तथा भ्रष्टाचार-रोधी कार्य के लिए उपलब्ध विभागीय/संगठनात्मक उपायों के बारे में गहन प्रचार अभियान के माध्यम से सुग्राही बनाने तथा प्रेरित करने की अत्यंत आवश्यकता है तथा साथ ही नागरिकों को विश्वास दिलाना होगा कि दोषियों के विरूद्ध तुरन्त निवारक कार्रवाई की जाएगी । अत: सरकारी संगठनों के सभी प्रमुख, जन-जागरूकता के लिए योजना बनाने हेतु स्वंय को पुन: समर्पित करें तथा भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए की गई पहलों तथा समस्या समाधान तन्त्र पर सूचना का नागरिकों के मध्य व्यापक प्रचार करें । मुद्रण एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया; अन्त:सक्रिय वेब-पोर्टल; बैनर एवं पोस्टर; वाक् अभियानों आदि के प्रयोग के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है ।

4. यह मानते हुए कि सतर्कता जागरूकता अवधि के दौरान आयोग द्वारा उन्नीत सतर्कता प्रबंध अच्छे अभिशासन तथा श्रेष्ठता के अनुसरण को सुसाध्य बनाएंगे तथा यह मूल्यांकन किए जाने योग्य होंगे ताकि अर्थपूर्ण निष्पादन मूल्यांकन प्राप्त हो सके, तथा यह स्मरण करते हुए कि दी गई सेवाओं की गुणवत्ता में सतत सुधार को सुसाध्य बनाने हेतु "मूल्यांकन, विश्लेषण तथा सुधार" पर आई.एस.ओ. 9000 : 2000 विशेष बल देता है, आयोग ने इस वर्ष सतर्कता जागरूकता अवधि के संचालन से आगामी वर्ष में इसके द्वारा पालन की गई सतर्कता जागरूकता के मूल्यांकन हेतु स्वंय के लिए मापक निर्धारित किए हैं जो आयोग की वेबसाइट www.cvc.nic.in पर उपलब्ध हैं ।

5. आयोग आशा करता है कि भारत में एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज उन्नत करने के लिए इन आचारों को सभी के द्वारा अपनाया जाएगा ।

ह0/-
(आर. श्री. कुमार)
सतर्कता आयुक्त

ह0/-
(जे.एम. गर्ग)
सतर्कता आयुक्त

ह0/-
(पी.जे. थॉमस)
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त